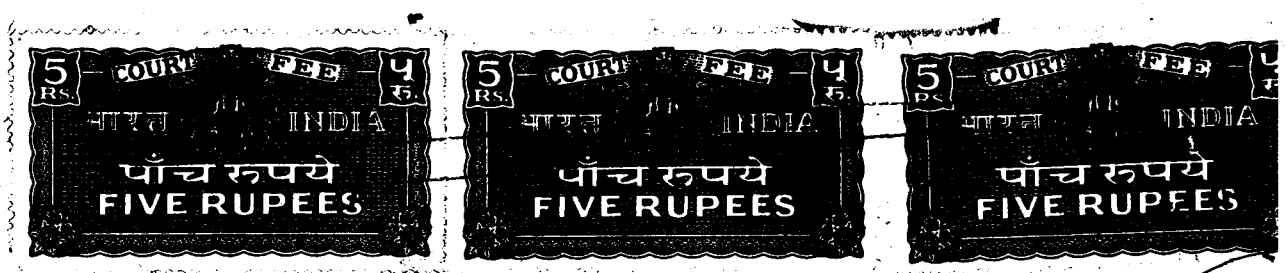

5 COURT FEE 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5/— 23

न्यायालय माननीय रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर

पुनर्विचार आवेदन पत्र (2006)

Rev 131-I/07

1- रसीदशाह पिता कादरशाह आयु 60 वर्ष
निवासी इतवारिया बाजार सुसनेर

2- अजीजशाह पिता कादरशाह आयु 58 वर्ष
इंद्रा कालोनी आगर रोड उज्जैन

3- अब्दुल करीम पुत्र अब्दुल कादर आयु 65 वर्ष
तकयागली सुसनेर ------ आवेदकगण

बनाम

इंतजामिया कमेटी वक्फ दरगाह ख्वाजा साहब अजमेरी द्वारा शफीउद्दीन कुरेशी सुसनेर

---- अनावेदक

18-1-07

आवेदन पत्र धारा 51 म०प्र०भू०रा० संहिता के अन्तर्गत आदेश प्र०क्र० 89 (1) 06-दिनांक (1.11.2006) 1.11.2006 श्री मुकेश कक्कड सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर के आदेश के विरूद्ध

माननीय महोदय,

1- यह कि अपीलांट आवेदकगणों ने एक अपील श्रीमान कमिश्नर महोदय उज्जैन के प्र०क्र० 704/05 आदेश दिनांक 26.9.05 के विरूद्ध माननीय रेवेन्यू बोर्ड में प्रस्तुत की। यह अपील श्री सुरेश कुमार सादपुते अभिभाषक द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय शाजापुर को प्रस्तुत की गई थी शासकीय निर्देशानुसार श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा यह प्रकरण इस न्यायालय को भेजा गया था इस कारण अपीलांट अभिभाषक को व अपीलांट को सुनवाई के दिनांक का ज्ञान नही था।

2- यह कि, पश्चात आवेदक को ज्ञात हुआ है कि दिनांक 1.11.2006 को श्री अग्रवाल अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में आरंभिक सुनवाई का तर्क किया व माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को सुनवाई योग्य न मानकर निरस्त कर दिया निम्न कारणों से माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुनर्विचार योग्य है :-

अ- यह कि अपीलांट ने किसी भी टी.टी. गुप्ता को या ए.के. अग्रवाल को अभिभाषक नियुक्त नही किया इस कारण उन्हें अपीलांट की ओर से ...

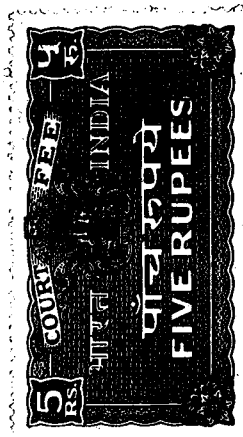

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 131–एक/2007 [रशीदशाह / इंतजामिया कमेटी] जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.9.16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 89–एक/2006 में पारित आदेशदिनांक 01–11–2006 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	